भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1149
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2012

मोबाइल हैंडसैट्स के लिए स्पैसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट

1149. श्री ए0ए0जिन्ना :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोबाइल हैंडसैट्स के लिए स्पैसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट(एसएआर) के अनुपालन के संबंध में नए विनियम अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह भारत में निर्मित और बिकने वाले या आयातित हैंडसैट्स के अनुपालन पर भी निगरानी रखेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एसएआर वैल्यू वाला ऐसा कोई भी हैंडसैट जो कि देश में स्वीकृत निर्धारित मानकों से ऊपर हो उसका निर्माण और विक्रय देश में नहीं हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) से (ग) दूरसंचार विभाग ने एहतियाती उपाय के रूप में, दिनांक 25 जनवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं0-18-10/2008-आईपी द्वारा, अंतर-मंत्रालयी समिति की अन्य सिफारिशों के साथ मोबाइल फोनों से होने वाले ईएमएफ (वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र) विकिरण के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है:-

(i) मोबाइल हैंडसेट के लिए एसएआर(विशिष्ट अवशोषण दर) का स्तर औसतन मानव ऊत्तक की 1 ग्राम की मात्रा पर 1.6 वॉट/कि0ग्रा तक सीमित होगा।

(ii) हैंडसेट पर एसएआर स्तर दर्शाया जाएगा।

(iii) भारत में बिकने वाले सभी सेल-फोन, संगत बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) मानकों का अनुपालन करेंगे और यह मानक हैंड-फ्री उपकरणों के साथ होंगे ।

(iv) मोबाइल हैंडसेट की एसएआर मूल्य की जानकारी निर्माता की बेवसाइट पर और हैंडसेट की नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराई जाएगी। एसएआर मूल्य की सूचना उपभोक्ता को बिक्री के समय दी जाएगी।

(v) भारत में निर्मित और बेचे जाने वाले अथवा अन्य देशों से आयातित मोबाइल हैंडसेटों की एसएआर सीमा का अनुपालन किए जाने की जांच की जाएगी।

जारी..2

भारत में निर्माता, हैंडसेटों के एसएआर के मूल्य की घोषणा स्वयं करेंगें। अन्य देशों से आयातित हैंडसेटों के संबंध में निर्माता, एसएआर मूल्य की घोषणा स्वयं करने के अतिरिक्त, अपने दस्तावेजों में एसएआर सूचना का विशिष्ट रूप से उल्लेख करेंगे ताकि उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया जा सके। भारतीय तार अधिनियम, 1985 के अंतर्गत, भारतीय तार नियमावली में किए गए उपयुक्त संशोधनों को कड़े अनुपालन के लिए लागू किया जाएगा।

सभी देशी निर्माताओं को 01 सितम्बर, 2012 अथवा इससे पूर्व उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन के लिए डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर और पैकिंग में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। सभी निर्माताओं, देशी अथवा विदेशी निर्माताओं को औसतन 1 ग्राम ऊत्तक पर 1.6 वाट प्रति कि0ग्रा एसएआर मूल्य के संबंध में दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टीईसी) को स्वयं की ओर से घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकृत प्रयोगशाला अथवा टीईसी, भारत द्वारा अधिकृत किसी प्रयोगशाला के प्रमाण-पत्र पर आधारित होगी, जिसकी एक प्रति, इस विभाग के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी। ऐसी स्व-घोषित एसएआर सीमाएं, जब और जैसे आवश्यक होगा, टीईसी की जांच के अध्यधीन होंगी।

*****